


AOE (Am P)
2018

1216
6/3/19



राजस्थान सरकार
गृह (मुप-2) विभाग
आज्ञा

क्रमांक एफ.20(क)(3) गृह-2/1982 पार्ट
राजस्थान
ADGP
ADSP
ASST
Dy ADP
Dy SP
Dy SO
Dy SDO
Dy JDO
Dy TDO
Dy MDO
Dy JDO
Dy SDO
Dy TDO
Dy MDO

जयपुर, दिनांक
28 FEB 2019

विषय: राजस्थान पुलिस बैण्ड नियम 1983 के नियम 7(1) में संशोधन।

इस विभाग के समसंख्यक, आदेश दिनांक 21.12.2010 में संशोधन कर राजस्थान पुलिस बैण्ड नियम 1983 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ब्रास एवं पाईप बैण्ड की दरें निम्नानुसार निर्धारित करने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये दरें पुलिस एवं आरएसी बैण्ड पर समान रूप से लागू होंगी :-

(अ) ब्रास बैण्ड की दरें :-

क्र. सं.	स्थान	अवधि	वर्तमान दरें		नवीन दरें	
			फुल बैण्ड	हॉफ बैण्ड	फुल बैण्ड	हॉफ बैण्ड
1	जयपुर	1 घण्टा	7,500/-	5,000/-	11,000/-	7,500/-
		2 घण्टा	10,000/-	7,000/-	15,000/-	10,500/-
		3 घण्टा	13,500/-	10,000/-	20,000/-	15,000/-
2	अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर	1 घण्टा	5,000/-	3,000/-	7,500/-	4,500/-
		2 घण्टा	7,000/-	5,000/-	10,500/-	7,500/-
		3 घण्टा	8,000/-	6,000/-	12,000/-	9,000/-
3	झुन्झुन, दौसा, सवाई माधोपुर, नागौर, बांरा, राजसमन्द, सिरोही, धौलपुर, टांक	1 घण्टा	3,000/-	-	4,500/-	-
		2 घण्टा	5,000/-	-	7,500/-	-
		3 घण्टा	7,500/-	-	11,000/-	-

(ब) पाईप बैण्ड की दरें :-

क्र. सं.	स्थान	अवधि	वर्तमान दरें		नवीन दरें	
			फुल बैण्ड	हॉफ बैण्ड	फुल बैण्ड	हॉफ बैण्ड
1	श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, अजमेर	1 घण्टा	2,000/-	1,200/-	3,000/-	1,500/-
		2 घण्टा	3,000/-	2,000/-	4,500/-	3,000/-
		3 घण्टा	4,500/-	3,500/-	6,500/-	5,000/-
	टांक, अलवर, करीली, बूंदी, झालावाड़, चूरु, बांसवाड़ा, झुगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, घाली, खैरवाड़ा	1 घण्टा	1,500/-	-	2,000/-	-
		2 घण्टा	2,500/-	-	3,500/-	-
		3 घण्टा	4,000/-	-	6,000/-	-

(स) परिवहन व्यय की दरें :-


क्र.सं.	स्थान	वर्तमान दरें	नवीन दरें
1	जिला मुख्यालय पर	500/-	750/-
		500 + 250 = 750/-	750 + 375 = 1125/-
		750 + 10 रुपये प्रति अतिरिक्त कि.मी.	1125 + 15 रुपये प्रति अतिरिक्त कि.मी.

यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन रहेगी :-

1. विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि परिवहन व्यय की समस्त राशि राजकोष में जमा हो गयी है।
2. बैण्ड किराये की 50 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-4) विभाग की आई.डी. संख्या 181900135 दिनांक 21.02.2019 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

भवदीय,




(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-प-12(१) आ.एवं.क./बैण्डेफण्ड/2015 1625 दिनांक 14/3/2019

1. समस्त महानिदेशक पुलिस/अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी/पुलिस दूरसंचार/एस.सी.आर.बी./राज. इन्टै. ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर/ए.सी.बी./केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, आर.पी.टी.सी. जोधपुर/किशनगढ़।
9. समस्त कमाण्डेंट, आर.ए.सी. बटालियन मय आई.आर./ एम.बी.सी खैरवाड़ा।
10. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
11. समस्त कमाण्डेंट, पी.टी.एस. राजस्थान मय पी.एम.डी.एस., बीकानेर।
12. समस्त जोन ऑफिसर, सीआईडी (सीबी/आईबी) राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर।


(राजेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
आयोजना एवं कल्याण
राजस्थान, जयपुर।